

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही गय इनिशियल जज सुखदेव सिंह गोदारा बनाम लोक सूचना अधिकारी, (अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर प्रथम, जोधपुर) सू.अ.अपील संख्या-ऑनलाईन अपील संख्या 353040664556296</p>	<p>न. व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>23/05/25</p>	<p>अपीलार्थी सुखदेव सिंह गोदारा निवासी वार्ड संख्या 9, भोपालगढ़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत उनके द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में दिनांक 07.05.2025 को विभिन्न बिन्दुओं की परिवेदनाओं से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर प्रथम, जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील में रेषपो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर प्रथम, जोधपुर) को नियत सुनवाई तिथि को आवश्यक दस्तावेज सहित (तथ्यात्मक) उपस्थित होने एवं अपीलार्थी को सुनवाई तिथि हेतु आरटीआई पोर्टल के माध्यम से नोटिस जारी किया गया।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। नियत सुनवाई तिथि पर अपीलार्थी अनुपस्थित। रेषपो. पक्ष (अतिरिक्त जिला कलक्टर, शहर प्रथम, जोधपुर) ने जरिये पत्रांक 454 दिनांक 13.05.2025 से बतलाया कि अपीलार्थी को दिनांक 07.05.2025 को ऑनलाईन सूचित किया जा चुका है कि उनके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत प्रस्तुत ऑनलाईन आवेदन पत्र में चाही गई सूचना का स्पष्ट उल्लेख नहीं किया गया है, जिसके अभाव में सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है, साथ ही प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग जयपुर के परिपत्र दिनांक 02.02.2009 के अंतर्गत पैरा 3 अनुसार लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदन द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना अथवा काल्पनिक प्रश्नों का उत्तर देना अपेक्षित नहीं है। चूंकि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना क स्पष्टीकरण से लोक सूचना अधिकारी द्वारा प्रार्थी को अवगत करा दिया गया है अतः लोक सूचना अधिकारी कार्यालय स्तर पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने से अपील इस स्टेज पर निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p> <p style="text-align: right;">(गौरव अग्रवाल) जिला कलक्टर, जोधपुर</p>	

Signature valid

Digitally signed by Gaurav Agrawal
Designation: Collector & District
Magistrate
Date: 2025.05.23 18:51:57 IST
Reason: Approved

शुद्ध
शुद्ध
शुद्ध